प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 07.03.2025

- **महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही जारी।**
- **थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व घटना के खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम मनावा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 01.03.2025 को दी गयी लिखित तहरीर जिसमें वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-68/25 धारा 137(2)/352 बीएनएस बनाम 04 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शोहेल पुत्र शफीक निवासी बखतपुरवा, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 07.03.2025 को ग्राम बहादुरपुर रोड वाली मन्दिर के पास थाना क्षेत्र रसूलाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियोग से सम्बन्धित पीड़िता को बद्दी जनपद सोलन (हिमाचल प्रदेश) से कल दिनांक 06.03.2025 को सकुशल बरामद किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में संकलित साक्ष्यों के आधार पर पंजीकृत धारा 137(2)/352 बी.एन.एस. से धारा 137(2)/65(1)/352 बी.एन.एस. तथा धारा 5(l)/6 पोक्सो एक्ट में परिवर्तित किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. शोहेल पुत्र शफीक निवासी बखतपुरवा, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 68/2025 धारा 137(2)/65(1) बी.एन.एस. तथा धारा 5(l)/6 पॉक्सो एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मिलन कुमार सिरोही
2. हे0का0 133 सुनील कुमार